राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक : निसंशि/मेरिट/अध्या III/2009–10/20796 दिनांक : 14.07.2010

-: **आदेश** :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/परीक्षा 'ग'/अध्यापक/संस्कृत शिक्षा/2008–09 दिनांक 20.06.2008 एवं शुद्धि पत्र संख्या 2/2008–09 दिनांक 02.09.2008 के तहत अध्यापक ग्रेड–III सामान्य (पद कोड – 22) के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थी **श्री राणीदान सुथार पुत्र श्री चैनसुख सुथार** को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(2) वित्त (नियम)/2006 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा राजस्थान सेवा (संशोधित) नियम, 2006 एवं राज्य सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसरण में अभ्यर्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् पे बैन्ड–1 5200–20200+ग्रेड पे 2800 में न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार भत्ते देय होगें।
2. राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के नियम 21 की अनुसूची 4 के अनुसरण में परिवीक्षाकाल में फिक्स न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 8950.00 प्रतिमाह देय होगा।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.13 (1) वित्त/नियम/03 दिनांक 02.08.2005 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेन्शन) नियम, 2005 के प्रावधान लागू होगें।
4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4) वित्त (नियम)/99 दिनांक 14.01.2004 द्वारा संशोधित चिकित्सा सेवा नियम लागू होगें।
5. राज्य सरकार के आदेशांक एफ. 11(1) वित्त(ग्रुप–2)/93 दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी संशोधित भवन ऋण नियम लागू होगें।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 08.04.2003 द्वारा जारी संतान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
7. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न याचिकाओं में जारी आदेशों के अध्यधीन रहेंगी।
8. पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम तीन वर्ष तक कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

इनका पदस्थापन निम्न तालिका में अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जाता है :-

फोटो	मेरिट क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम निवास का पता	जन्म तिथि	श्रेणी	पदस्थापन स्थान	टिप्पणी
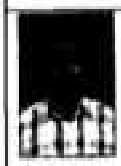	178	श्री राणीदान सुथार पुत्र श्री चैनसुख सुथार ग्राम ढोक–सेतरावा, वाया–सेतरावा, तहसील–शेरगढ़ जोधपुर	31.08.1985	ओबीसी	राउप्रासंवि, साधुओं का बेरा जेठन्तरी सिवाना बाड़मेर	विद्यार्थी मित्र के स्थान पर

नियुक्त अध्यापक को पदस्थापित स्थान पर दिनांक <u>31 जुलाई, 2010</u> तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, कार्यभार ग्रहण नही करने की स्थिति में उक्त निर्धारित तिथि पश्चात् यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।

3. संबंधित संस्था संकुल प्रभारी को भेज कर लेख है कि नवीन अध्यापकों की नियुक्ति सर्वशिक्षा अभियान बजट मद के तहत की गई है। अतः इनका फिक्स न्यूनतम पारिश्रमिक इसी मद से आहरित करावे।

4. संबंधित संस्था प्रधान को भेज कर लेख है कि संबंधित को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनकी शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण—पत्रों/अंकतालिका से मिलान कर उनकी प्रमाणित फोटो प्रतियों का एक सैट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल चिकित्सा प्रमाण—पत्र, सन्तान संबंधी शपथ पत्र, आचरण संबंधी शपथ पत्र एवं शैक्षिक—प्रशैक्षिक योग्यताओं की सत्यता व मान्यता के संबंध में निर्धारित प्ररूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करे एवं विभाग को कार्यारम्भ सूचना अविलम्ब भिजवाएं। विद्यार्थी मित्रों के स्थान पर पदस्थापित नवीन अध्यापक के कार्यारम्भ करते ही विद्यार्थी मित्र की सेवाएं समाप्त समझी जावें।

5. संबंधित अभ्यर्थी को भेजकर लेख है कि शैक्षिक—प्रशैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण—पत्र/अंकतालिकाओं की प्रमाणित फोटो प्रतियों का एक सैट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल चिकित्सा प्रमाण—पत्र, सन्तान संबंधी शपथ पत्र, आचरण संबंधी शपथ पत्र एवं शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं की सत्यता व मान्यता के संबंध में निर्धारित प्ररूप में शपथ पत्र कार्यारम्भ के समय संस्था प्रधान को प्रस्तुत करावें।

6. संस्थापन अनुभाग 4 (क,ख,ग,ए) निदेशालय को व्यक्तिगत पंजिका हेतु।

7. संरक्षण पंजिका।

संयुक्त निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर